<u>न्यायालयः- न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट।</u>

<u>दाण्डिक वाद संख्या- 105 / 2018</u>

सरकार बनाम श्यामाचरण

मु.अ.सं.- 83 / 2018
धारा-60/63 आबकारी अधिनियम।
थाना-बरगढ़।
जिला-चित्रकूट।

<u>आरोप</u>

मैं सुमित कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट आप अभियुक्त श्यामाचरण को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक-11.09.2018 को समय लगभग 08:45 बजे स्थान-अशोक चौराहा, बह्द ग्राम व कस्बा-बरगढ़, थाना-बरगढ़, जिला-चित्रकूट में थाना हाजा की पुलिस द्वारा आपके कब्जे से एक प्लास्टिक के सफेद रंग के झोले में 30 अदद कावर्टर मस्तीह देशी शराब एम.पी. निर्मित बरामद की गई है जिसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपके कब्जे से बरामद की गई उपर्युक्त शराब आबकारी अधिनियम व उसके नियमों के उल्लंघन में गैर राज्य से आयातित की गई है जिसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो आबकारी अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-18.09.2019

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ, चित्रकूट।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांक-18.09.2019

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ, चित्रकूट।